भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-** 2065

उत्तर देने की तारीख- 19/12/2022

## उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची

2065. श्री अक्षयवर लाल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पथरी, राजगोंड जातियों को पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति श्रेणी से बाहर करने के बाद अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) श्रेणी में शामिल करने की अपनी सिफारिश भेजी है;

(ख) क्या यह सच है कि इस सिफारिश के आलोक में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पथरी, राजगोंड जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या गोंड और उसकी उप-जातियों धूरिया, नायक, ओझा, पथरी, राजगोंड को एकरूपता लाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो उक्त जातियों को कब तक अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

**(क) से (ग):** उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.4.1981 और 23.2.1991 के अपने पत्र द्वारा गोंड को उसकी उप-जनजातियों के साथ पूरे राज्य में अनुसूचित जाति की सूची से अनुसूचित जनजाति की सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश की। प्रस्ताव को प्रविधियों के अनुसार संसाधित किया गया था और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 का 10) द्वारा उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पथरी, राज गोंड समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 11.12.2013 के अपने पत्र द्वारा गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पथरी, राज गोंड समुदायों को उत्तर प्रदेश के नवसृजित 4 जिलों, नामत: संतकबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही (पूर्व नाम संत रविदास नगर के रूप में नामित) उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। इस संबंध में, एक विधेयक, नामतः संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पहले से ही संसद में है।

*****